बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में सोमवार, तिथि ११ नवम्बर १९५७ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ ।

स्थगन प्रस्ताव :

Adjournment Motion :

गंगा में महेन्द्रू और पहलेजा घाट के बीच जहाज के विस्थापित होने के कारण यात्रियों को असुविधा ।

INCONVENIENCES TO THE TRAVELLING PUBLIC DUE TO THE DISLOCATION OF STEAMER SERVICE BETWEEN MAHENDRU AND PAHLEZA GHAT IN THE GANGES.

अध्यक्ष—आज कई काम-रोको प्रस्ताव हैं, एक श्री बासदेव प्रसाद सिंह का है जिसे मैं नामंजूर करता हूं ।

श्री दारोगा प्रसाद राय—किस कारण से ?

अध्यक्ष—मैंने कई बार बता दिया है कि कारण देने के लिये मैं बाध्य नहीं किया जा सकता हूं ।

श्री दारोगा प्रसाद राय—कम से कम विषय की जानकारी हमलोगों को हो जाती ।

अध्यक्ष—दूसरा प्रस्ताव है फेरी सर्विस के बारे में श्री कर्पूरी ठाकुर का ।

*श्री कर्पूरी ठाकुर—मैंने जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव पेश किया है, वह यह है कि पिछले दो महीनों से पटना और पहलेजा घाट के बीच जो स्टीमर सर्विस चलती है उसकी ऐसी हालत हो गई है कि कोई भी गाड़ी ठीक समय पर आती जाती नहीं है जिससे मुसाफिरों को इस पार से उस पार आने जाने में परेशानी उठानी पड़ती है और उनका प्रोग्राम फेल (असफल) हो जाता है । कभी कभी तो ऐसा होता है कि दो-दो, चार-चार घंटे तक स्टीमर को गंगा में ही रह जाना पड़ता है जिससे हजारों मुसाफिरों को असुविधा होती है । मैं समझता हूं कि सरकार भी इससे अवगत है और इस बात को सभी जानते हैं कि पिछले दो महीनों से ऐसी असुविधा हो रही है । स्टीमर सर्विस का डिसलोकेशन (विस्थापन) होने से केवल मसाफिरों को ही नहीं बल्कि डाक इत्यादि के कामों में भी काफी असुविधा हो गयी है । सरकार को अपनी जवाबदेही समझनी चाहिये जिससे कि स्टीमर सर्विस ठीक वक्त पर चले या नहीं तो पोनटुन ब्रिज की व्यवस्था करनी चाहिये । अध्यक्ष महोदय, आपको यह पता होगा कि पिछले विधान-सभा के वक्त में ....

अध्यक्ष—इसको आप कई दृष्टिकोणों से देख सकते हैं । अगर आप चाहते हैं कि स्टीमर सर्विस में सुधार हो तो यह तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट (केन्द्रीय सरकार) की चीज है ।

बिहार आफिशियल लैंग्वेज (अमेंडमेंट) बिल, १९५७ (१९५७ की बि० सं० ८)

THE BIHAR OFFICIAL LANGUAGE (AMENDMENT) BILL, 1957 (BILL NO. 8 OF 1957).

डा० श्रीकृष्ण सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

बिहार आफिशियल लैंग्वेज (अमेंडमेंट) बिल, १९५७ पर विचार हो ।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल का उद्देश्य सरल और सीधा है। अभी राजकाज के कामों में हिन्दी भाषा को लिये जाने के लिये अवधि निश्चित है । इसके अनुसार गवर्नमेंट का सारा काम हिन्दी के द्वारा २९ नवम्बर, १९५७ से शरू हो जाना चाहिये लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी अभी जो मौजूदा परिस्थिति है उस परिस्थिति में इस कानून के मुताबिक केवल हिन्दी से काम लेना संभव नहीं है । इसपर विशेष प्रकाश डालने की आवश्यकता भी मुझे प्रतीत नहीं होती है । बड़ी कोशिश की गई कि हमारे दफ्तरों में काम करनेवाले हमारे अफसर लोग जिनको हिन्दी भाषा का परिचय पहले से नहीं है, परिचय कराया जाय । लेकिन परिचय कराने के बाद भी हिन्दी में नोट प्रस्तुत करने में उन्हें दिक्कत होती है । उनमें अधिकांश ऐसे शब्द आते हैं जिनके प्रयोग करने में बड़ी ही मुश्किल होती है । फिर भी सचिवालय तथा और जगहों में बहुत दूर तक हिन्दी में काम लेना शुरू कर दिया गया है । लेकिन अभी भी रूल्स, रेगुलेशन्स और कोड्स के अनुवाद नहीं हो सके हैं । बहुत-से ऐसे शब्द हैं जिनके हिन्दी शब्द भी नहीं निकल सके हैं । हिन्दी भाषा में खुलकर लिखने की आदत नहीं होने की वजह से भी दिक्कत हो रही है । लोगों ने, हिन्दी नहीं जानते हुए भी, हिन्दी जानने की कोशिश की है । इस कानून के मुताबिक २९ नवम्बर, १९५७ से कचहरियों में भी पूर्ण रूप से हिन्दी हो जानी चाहिये लेकिन हाई कोर्ट समझती है कि इतनी जल्दी कचहरियों में हिन्दी से काम नहीं लिया जा सकता है । इस बात को बतलाने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं। कानून एक ऐसी चीज है जिसमें एक-एक शब्द पर आदमी के अधिकारों का फैसला निर्भर करता है । इसका स्पष्ट मानी क्या हो और इसका स्पष्ट रूप क्या हो यह कानून में हर शब्दों के संबंध में जानने की आवश्यकता पड़ती है । जबतक कोई एक शब्द कानून में कुछ रोज तक प्रयोग न किया जाय तबतक उसका कानूनी स्पष्ट रूप जानना कठिन होता है । और जब कुछ दिनों तक शब्द प्रयोग में आ जाते हैं तो लोग आसानी से उसके स्पष्ट अर्थ को समझ लेते हैं ।

इन्हीं सब कारणों से २९ नवम्बर, १९५७ से हमलोग राजकाज के सारे काम को हिन्दी में नहीं ले सकते हैं। लेकिन यह कोशिश की जा रही है कि अगले तीन वर्ष के भीतर हमलोग हिन्दी में काम करने योग्य हो जांय । १९६० के २९ नवम्बर तक हमलोग सारा काम हिन्दी में करने लग जायेंगे । इसलिये यह संशोधन सदन के सामने उपस्थित किया गया है । अभी जो कानून में २९ नवम्बर, १९५७ है उसमें तीन वर्ष और जोड़ दिया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं ।

श्री रामवृक्ष बेनीपूरी—अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि पिछली बार महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए मैंने इस बात की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया था कि अब निसंदेह ही हिन्दी हमारे सारे प्रांत में राज्य भाषा के रूप में होनी चाहिये । लेकिन इसकी कुछ भी चर्चा उस राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है । जब मैंने यह कहा था तो यह आशा हुई थी कि इसके अन्दर अभी भी ६-७ महीने हैं,

कोशिश की जायेगी कि इस काम को जल्द से जल्द कर लिया जाय । लेकिन मुझको बड़ा दुख है, काम तो हुआ नहीं उसके बदले में हमको ३ वर्ष की और अवधि दी जा रही है । हमारे मुख्य मंत्री जी ने, जो हमारे नेता भी हैं, बड़ी खोज कर और जानबूझ कर कहा कि उनकी सरकार ने बड़ी कोशिश की है कि इस अवधि में जो ७० वर्ष कर दिये गये थे, सारे काम हो जायें । और उदाहरण तो मैं नहीं जानता लेकिन एक छोटा-सा उदाहरण मैं देता हूं । जिस समय मैंने उस भाषण को दिया और इसकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया उसके बाद ही हमारे मुख्य मंत्री ने सचिवालय के सचिवों को बुलाकर कहा और उनके प्रचार विभाग ने समाचार भी प्रकाशित किया कि उन्होंने कह दिया है कि इतने विभागों का काम जल्द से जल्द जुलाई से हिन्दी में शुरु कर दिया जाय । मैं बोलने के लिए कभी भी नहीं उठता अगर मुझको यह पता चल जाता कि जुलाई में जिन-जिन विभागों को हिन्दी में काम करने के लिए कह दिया गया था उन लोगों ने हिन्दी में काम करना शुरू कर दिया । सचिवालय में मैंने देखा है कि यह एक बड़ी ही विचित्र स्थिति पैदा हो गयी है कि जब से उन लोगों को यह मालूम हो गया कि किसी तरह से ३ वर्ष की और भी अवधि बढ़ाई जा रही है तब से सारा काम ठप पड़ गया है । मुख्य मंत्री जी अगर छानबीन करें तो सभी विभागों में तो नहीं लेकिन कम से कम उन विभागों में जिनमें उन्होंने हिन्दी में काम शुरू करने के लिए कहा था तो उनको यह जान कर आश्चर्य होगा कि कुछ भी काम नहीं हो पाया है ।

कहा गया है कि नोट प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा काम है । ठीक है, मैं मानता हूं कि नोट सब कोई प्रस्तुत नहीं कर सकता है । लेकिन मुझे इस तरह की सूचना मिली है कि जब कोई सहकारी नोट हिन्दी में लिख कर ले जाता है तो सचिव बिचारे लिखेंगे क्या, पढ़ भी नहीं सकते हैं । मुझसे एक सहकारी सचिव ने बताया कि बेनीपूरी जी में क्या करूं हिन्दी यहां कभी भी नहीं चल सकती है । पहले तो हम हिन्दी में लिखते भी थे लेकिन अब तीन साल की अवधि जो बढ़ गयी तो अब सचिव महोदय कहते हैं, रहने भी दीजिये अभी । पहले जब हम हिन्दी में नोट लिख कर ले जाते थे तो कहते थे जरा इसको समझा दीजिये और अब यह भी कहते हैं कि हिन्दी में लिखिये तो उसका अनुवाद अंग्रेजी में भी लिख दीजिये । उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह हिन्दी चलने को नहीं और हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में नोट कौन लिखता रहे । मैं कहता हूं बिहार हिन्दी भाषी प्रांत है और यहां हिन्दी चल कर रहेगी और सारे काम हिन्दी में होकर रहेंगे । लेकिन बात यह है कि इस तरफ ध्यान कम दिया जा रहा है । हमारे लिए एक दर्दनाक बात यह है कि जब हमारे मुख्य मंत्री ने स्पष्ट कर दिया इन विभागों में हिन्दी में काम होना चाहिये फिर भी वहां हिन्दी में काम नहीं हो रहा है । लिखने-पढ़ने की बात जाने दीजिये, कुछ ऐसे विभाग हैं जहां टेक्निकल टर्म्स की जरुरत होती है । कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स बनाये गये हैं जिनको समझना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है । मुझको भी सोचना पड़ता है कि अंग्रेजी में यह शब्द क्या है । तो इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है । मैं आप को बताता हूं, मैं नागपुर सेक्रेटेरियट में आज से ४ वर्ष पहले घूमा । वहां के सचिव ने मुझसे बताया कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनका उन्होंने हिन्दी में टर्म बना लिया है और उसको सभी मिनिस्टरों के पास भेज दिया है । उन्होंने कहा, बेनीपूरी जी आप देखेंगे कि हमारे यहां एक भी काम अंग्रेजी में नहीं होता है । हमने होशियारी एक यह की है कि मराठी को भी उतनी ही प्रधानता देते हैं जितनी हिन्दी को । अन्य प्रदेशों की सरकारों के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बात होती है वह अंग्रेजी में होती है । लेकिन जो हिन्दी भाषी प्रांत हैं उनसे हिन्दी में ही कारबार होता है ।

तो मैं कहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी और हमारे कुमार गंगानन्द सिंह जी जो हिन्दी के बहुत बड़े पोषक हैं एक दिन जाकर देखें कि जुलाई में जो आदेश उनके विभाग को मिला था जिसके अनुसार यह तय कर लिया गया था कि जुलाई से उनके विभाग में हिन्दी में काम होगा, क्या उसी तरह काम हो रहा है ? मैं यह नहीं कहता कि कलकत्ता और मद्रास में हिन्दी क्यों न हो लेकिन कम से कम बिहार में जहां की हिन्दी भाषा है वहां तो हिन्दी में काम होना चाहिये। जरूरत तो इसकी है कि बिहार में पहले हिन्दी हो। हमारे मुख्य मंत्री जी समझेंगे कि मैं इस दृष्टि से कह रहा हूं कि मुझको इसका सख्त विरोध है। मैं मानता हूं कि कचहरियों में कुछ ऐसे शब्दों का व्यवहार होता है जिनके लिए अंग्रेजी शब्द का रहना आवश्यक है लेकिन उनके लिए एक स्पेशल केस करके रखा जाता कि अमुक-अमुक विभागों में इतने वर्षों के बाद काम हिन्दी में कर दिया जाय। ऐसी बात इसमें नहीं की गयी है। कचहरियों में भी कुछ ऐसा नहीं है कि हिन्दी में काम नहीं होता हो।

हमारे पशुपालन मंत्रीजी यहां बैठे हुए है उन्होंने लिखा अपने डायरेक्टर को कि हमारी एक शिकायत है, उन्होंने हिन्दी में आदेश भेजा। एक दिन मैं देख क्या रहा हूं कि एक पूरी पल्टन मेरे यहां पहुंच गयी है इन्जेक्शन वगैरह का पूरा सामान लिए हुए। उन्होंने कहा कि मंत्रीजी ने लिखा है कि बेनीपूरी जी से मिलें और कौन बीमार है उसे इन्जेक्शन दें। मैंने लिख दिया था कि आसपास बीमारियां फैलती हैं यहां एक अस्पताल कायम करना चाहिये। और यह इन्जेक्शन लेकर दौड़े। तो मैं कहता हूं कि अगर कचहरियों की बात होती तो मैं संतोष करता। इससे यहां की साधारण जनता का संबंध है और जनता के जीवन में दिन-दिन इसको लेकर दिक्कत हो रही है। इसलिये मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री से यह अपील करूंगा कि वे इस तरह का प्रस्ताव न लाकर एक स्पेसिफिक बिल इस हाउस (सदन) के सामने पेश करें। इस तरह का गड़बड़ घोटाला बिल के लाने का तो यही मतलब होता है कि इस दिशा में जो भी कदम उठाया जानेवाला था उसे तीन वर्षों के लिये और पीछे ढकेल देना है जो न हमलोगों के लिये शोभनीय है और न बिहार के विधान सभा के लिये ही शोभनीय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष—इस प्रस्ताव पर श्री रामानंद सिंह ने एक संशोधन दिया। मैं इसे नामंजूर करने जा रहा हूं इसलिये इसको पढ़ कर सभा को सुना देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :

" दि बिहार आफिशियल लैंग्वेज (अमेंडमेंट) बिल, १९५७ तिथि १५ दिसम्बर, १९५७ तक जनमत जानने के लिये परिचारित हो।" २९ नवम्बर से इसे लागू करना है और १५ दिसम्बर तक रिपोर्ट मांगते हैं। यह अमेंडमेंट केवल देर करने के लिये पेश किया गया है। इसे मैं नामंजूर करता हूं।

(अंतराल।)

प्रत्यायुक्त विधान समिति के तृतीय प्रतिवेदन का मेज पर रखा जाना।

LAYING ON THE TABLE THE THIRD REPORT OF THE COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION.

श्री त्रिविक्रमदेव नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रत्यायुक्त विधान समिति (कमिटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन) का तृतीय प्रतिवेदन विधान सभा प्रक्रिया एवं संचालन नियमावली के नियम २५२ के अनुसार सभा के समक्ष रखता हूं।